श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा जो कम्पनी कानून में संशोधन लाने वाला विधेयक है उसको मैं सदन के विचारार्थ रखना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायगा।'

सभापति महोदय : --

MR CHAIRMAN He may continue on the next date Half an hour discussion

---

18 28-1/2 Hrs.

HALF-AN HOUR DISCUSSION

Enforcement of prohibition

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : जो विषय विचारार्थ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उन्होंने जो एक बार कहा था उसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं --

"I hold drink to be more damnable than thieving and perhaps even prostitution Is it not often the parent of both ?"

यह भी उन्होंने कहा था --

If I was appointed dictator for one hour for all India the first thing I would do would be to close without compensation all the liquor shops

महात्मा गांधी के शब्दों को याद दिलाने में मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है क्योंकि वे लोग बड़े पापी होते हैं जो उन शब्दों को याद तो करते हैं लेकिन उनको काम में नहीं लाते हैं। मुझे उससे कोई फायदा नहीं लगता है। लेकिन उन्हीं की बात को प्रो० नूरुल हसन साहब जो शिक्षा मंत्री और शिक्षा शास्त्री हैं वह भी दोहरा रहे हैं और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपनी बीसवीं रिपोर्ट में कहा है

"I must express distress at the fact that the consumption of alcohol has been going up in the last four years"

प्रोफेसर नूरुल हसन ने 26 मार्च, 1974 को शराब की बढ़ती हुई खपत पर दुख और चिन्ता प्रकट करते हुए कहा --

"We have been reaffirming year after year faith in prohibition I have got the figures. I must express regret at the fact that the consumption of liquor has been going up during the last four years

बहुत अधिक दुख के साथ उन्होंने यह बात कही। उनको इतना दुख और चिन्ता थी कि वे आज आये ही नहीं। शराब की कन्जम्पशन 1970 में 57,919 किलो लिटर 1971 में 63,782 कि० लि० 1972 में 76,664 और 1973 में 79,911 किलो लिटर हुई। एक प्रसिद्ध चीनी मुहावरा है कि पहले व्यक्ति शराब को पीता है फिर शराब शराब को पीती है और फिर अन्त में शराब व्यक्ति को पी जाती है। यह आंकड़े देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है और मैं सोचता हूं कि अगर यही हालत रही तो यह देश पतन के गर्त में गिर जायगा। सवाल यह है कि सरकार वायदा क्या करती है? अधूरे मन से उठाये गये कदम कभी कारगर नहीं होते। अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता मिलती है। अगर सरकार का इरादा नहीं है तो वह कान्स्टीट्यूशन से अनुच्छेद 47 को हटा दे जिसमें कहा गया है --

The State has regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and in particular the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health

शराब बन्द कराने के लिये हमारे देश में कितने ही सत्याग्रहियों ने आन्दोलन किये थे, जेलों में गये थे। लाखों स्त्री और पुरुषों ने इसके लिये कुर्बानियां दी थीं धरने दिये थे। इसी के परिणाम-

स्वरूप हमारे संविधान में यह अनुच्छेद रखा गया था।

1956 में इस हाउस ने यह रैजूलेशन पास किया गया —

> "This House is of opinion that Prohibition should be regarded as an integral part of the Second Five Year Plan and recommends that the Planning Commission should formulate the necessary programme to bring about nation-wide Prohibition speedily and effectively."

जो लोग संकल्पों को दोहराते रहते हैं वे उन संकल्पों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। बार-बार संकल्प का दोहराने में लोगों के मन में शक पैदा होता है। इन्सान दूसरों को उतना धोखा नहीं देता है जितना अपने आपको धोखा देता है। आप देश की 58 करोड़ जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने आपको धोखा दे रहे हैं। आप उस बात को क्या कहते हैं यदि आप कर नहीं सकते हैं।

प्लानिंग कमीशन ने 1963 में प्रोहीबीशन पर एक स्टडी टीम नियुक्त करते हुए यह रैजूलेशन पास किया —

> "The Government of India recently reviewed the position in consultation with the State Governments and decided that the working of the prohibition programme should be studied for the country as a whole. Such a study will cover problems connected with the enforcement of prohibition and Excise Laws, measures intended to reduce illicit traffic in liquor, improving administrative efficiency and securing to the maximum extent public support for the programme through the co-operation of both official and non-official agencies."

इस तरह बार-बार संकल्पों को दोहराने का क्या लाभ है? संकल्प को दोहराने वाला कौन होता है, जो संकल्प को पूरा करना नहीं जानता। मेहरबानी करके प्रोहीबीशन काउंसिल पर ताला लगा दीजिए। यह सब मीटिंगें बन्द कर दीजिये। इस सरकार का 20 लाख रुपया क्यों खर्च किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में जो कमेटियां हैं, उनको भी बन्द कर दीजिये।

मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के कई सदस्य यहां उपस्थित हैं। उनमें इस बारे में श्रद्धा है, मैं उनका आभार मानता हूं।

आल इंडिया प्रोहीबीशन काउंसिल ने हाल ही में गैर-कानूनी डिस्टीलेशन का अध्ययन किया है और वह इस नतीजे पर पहुंची है कि इसका हल शराब बन्दी करने से हो सकता है। आप इस बात को दोहराते रहे हैं और हम यह कहते कहते थक गये हैं कि यह क्या तरीका है।

सम्पूर्ण विश्व में अब तक के अनुभवों का निष्कर्ष यह है और यह बिल्कुल निश्चित तथा अनिवार्य है कि संसार के स्त्री और पुरुषों को संयत में कानून बनाकर संयमी बनाया जा सकता है। अमरीका में इस बारे में जो अनुभव हुआ वह इस प्रकार है —

> The discovery did not take long to dawn upon the enthusiasts that moral persuation and pledges of abstinence would not cut much ice and the emphasis, therefore, shifted from propaganda to the need for social control. The logic of the situation drove the people to the conclusion that "the drunkard was the product of the drunkard-maker and that the only method of solving the liquor problem was to eliminate the saloon" (the liquor shop).

अगर सरकार ने शराबबन्दी का कानून लाना है तो वह मजबूती से लाये, वरना यह शराब की बिक्री को खोल दे।

किसी ने कहा कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की। आपने भी ऐसी दवा की है जिससे मरीज भी जिन्दा रहे और मर्ज भी जिन्दा रहे। आपकी नीति का यह परिणाम है कि देश के

करोड़ों लोगों में नैतिक गिरावट आई है। आप कहते हैं कि हमें शराब से पैसा मिलता है, हम पैसा कहां से लायें। गांधी जी ने कहा था कि शराब से मिलने वाले पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है।

मैं आप के सामने कैलिफ़ोर्निया का उदाहरण रखना चाहता हूं। वहां सरकार को शराब से जितना पैसा मिला, उससे कई गुना अधिक पैसा शराब पीने के कारण हुए अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस और अदालतों पर, और उससे पैदा हुए रोगों के इलाज के लिए अस्पतालों पर ख़र्च हो गया।

Whereas the State is richer by one rupee, the tax-payer is poorer by four as he has to part with four times the tax he pays. The Government as a tax-gatherer is only a junior partner entitled to 25 per cent of the sweeings; the balance of 75 per cent is retained by the senior partners, namely, middlemen—the contractors, the distillers, vendors, etc. For the sake of getting one rupee as a revenue, the State makes the drinker pay four times the tax. The sum parted with is an unproductive expenditure which could be usefully invested. It is not like the sales tax where the purchaser retains the goods which are of more lasting value. It is not comparable to property tax, where a man owning property pays the tax. Liquor tax is iniquitous, regressive and anti-social. The figure will be astounding. The total cost on the debit side of the liquor ledger will far exceed the excise revenue collected.

प्राहीबिशन कौंसिल की मीटिंग में लोग आते ही नहीं है, क्योंकि किसी को उस में दिलचस्पी नहीं है। पचास परसेंट लोग भी नहीं आये। सिर्फ चार डिपुटी मिनिस्टर आये। तो फिर उस कौंसिल की मीटिंग क्यों बुलाई जाती है?

Mr. Jairam Das said that four Ministers from the States represented and 50 per cent of the States had not cared to send their representatives. He was wondering if they were fighting a lost battle on the issue. He was interested in time-bound programme.

राजस्थान में शराब-बन्दी के लिए सत्याग्रह किया जाता है। गोकुल भाई सत्याग्रह करते करते थक गये। अंग्रेजों ने शराब-बन्दी के लिए सत्याग्रह करने पर गांधी जी को जेल में रखा था। आज आप भी वही कर रहे हैं और सत्याग्रह करने और धरना देने वालों को जेल भेज रहे हैं।

मैं गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह थोड़ी सी आमदनी के लिए करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। शराब पीने से वे बर्बाद हो जायेंगे, उन के शरीर ख़राब हो जायेंगे।

जब कभी हम यह सवाल उठाते हैं, तो सरकार कहती है कि यह स्टेट सबजेक्ट है। लेकिन यूनियन टेरीटरीज की क्या हालत है, जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हैं? चंडीगढ़ में शराब की कनजम्पशन 1971-72 में 7,99,038 लिटर, 1972-73 में 9,03,250 लिटर और 1973-74 में 925643 लिटर हुई। दिल्ली में शराब की कन्जम्पशन 1971-72 में 42,96,397 लिटर, 1972-73 में 69,18,628 लिटर और 1973-74 में 95,10,572 लिटर हुई। मेरे पास हर स्टेट के फ़िगर्स हैं। सब जगह शराब की कनजम्पशन में वृद्धि हुई है।

हम कांग्रेस वाले भी शर्म नहीं करते हैं। हम भी प्राहीबिशन को नहीं चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि कानून बनाया जाये और सख्ती से उसका पालन किया जाये। क्या शराब पीने वाले औरतों के साथ अन्याय नहीं करते हैं? वे नशे में मुंह लेकर उन के पास जाते हैं। वे उनको धिक्कारेंगी।

जब सरकार शराब को बन्द नहीं करना चाहती तो वह जुआ खेलने की भी इजाजत दे दे। कहा जाता है कि कानून बनाने से क्या फ़ायदा है। कानून बनाने से संयम आता है। लेकिन हमारी बातों को कौन मानता है? हम बकवास करते रहते हैं और कोई उस की तरफ़ ध्यान नहीं

देता है। शराब पिला पिला कर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। इस के लिए कौन जिम्मेदार है?

If there is a single factor which stands effectively in the way of success of prohibition, it is the drinking officer.

जो लोग शराब पीते हैं, काकटेल पार्टियों में जाते हैं, जिन की शाम और रात रंगीन है उन को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंटस में अफसर मुकर्रर किया जाता है। आज देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जगह जगह शराब खुली बिकती है। कहीं स्मगलिंग हो रहा है कहीं इल्लिसिट डिस्टिलेशन हो रहा है। सरकार को एक टारगेट फिक्स कर देना चाहिए, एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए कि फलां तारीख तक हम शराब-बन्दी कर देंगे। कानून बना कर उस को सख्ती से लागू करना चाहिए। शराब पीने वालों को प्राहिबिशन कमिटी का मेम्बर न बनाया जाये।

कुछ न कुछ तो कीजिए। पंचायतों में नहीं, जिला परिषदों में कानून नहीं, आप कानून लागू करना नहीं चाहते। लिंकन ने यह कहा था—

That which is morally wrong can not be politically or economically right

MR. CHAIRMAN: But it is commercially right these days. Please conclude now

श्री मूल चन्द डागा: मैं तो इसको बन्द ही कर रहा हूं। मैं तो चला ही नहीं रहा हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि शराब बन्द कर दीजिए। लेकिन आप शराब बन्द करते नहीं हैं। आप शराब बन्द कर दें और मैं अपना भाषण बन्द कर दूं। जब तक शराब चालू रखेंगे तब तक मैं कोसूंगा इस को और मैं ही नहीं कोसूंगा, हजारों गरीब लोग कोसेंगे। यह एक लत बन जाती है लत का गुलाम बन जाता। अगर आप को बुराई मिटानी है तो बुराई कानून के जरिए भी मिटाई जा सकती है। सारी जितनी स्मगलिंग इस में होती है उस का डेटा मैं नहीं दे सकता क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन नेपाल से, भूटान से, सिक्किम से, कहां कहां से शराब आती है। हर आदमी बोतल ले कर आता। इतनी तो इस में स्मगलिंग होती है। कितनी शराब आप की दिल्ली में लोग स्मगल कर के लाते हैं और बाहर भेजते हैं? राजस्थान का ड्राइ कर दिया एक एरिया को लेकिन वहां शराब चलती है। पुलिस वाले और एन्फोर्समेंट वाले सब मिले हुए होते हैं। आप मुझे बताए कितने आदमियों को आप ने एक साल में सजा दी, कितनी आप ने स्मगल्ड शराब पकड़ी? इतना खिलवाड़ तो मत कीजिए। कांस्टीटयूशन के नाम पर शपथ सब ने खाई है। आप मेहरबानी कर के एक डेट दे दीजिए कि इस डेट तक बन्द कर देंगे। फिर फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, कहा कि हम आज से उन राज्यों को मदद देना बन्द कर देते हैं। बहुत बड़ी कृपा की, यह तोहफा उन को दे दिया। जो राज्य शराब बन्दी करते थे उन को पहले गवर्नमेंट 50 लाख रुपया कम्पेन्सेशन के रूप से देती थी, वह भी वापस ले लिया, कहा कि तुम शराब पीयो। धर्म का नाम लो और उस की आड़ में पाप करो। सेवा का नाम लो और उस की आड़ में पाप करो। केन्द्रीय समिति बार-बार चिल्लाती है, लाखों रुपया दे दिया प्रचार में ऐडवरटाइजमेंट के लिए कि शराब पीना अच्छा नहीं है और खुद शराब चलाते है, यह अच्छा नहीं मालूम होताहै। मुझे आप बताए कि कितनी शराब तस्करी में आती है और कितनी गैर-कानूनी बनती है। आप के बस्ती में बहुत बनती है। मैं खत्म कर रहा हूं लेकिन यह शराब की आवाज तो बराबर चलेगी।

श्री शंकर देव (बीदर): मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: नियमों के मुताबिक आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं आप का नाम नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी गढ़वाल): सभापति महोदय, अभी डागा साहब ने लगभग सभी बातों पर प्रकाश डाला है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि एक्साइज स्टेट सबजेक्ट है, लेकिन इतना कह कर आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। डागा साहब ने ठीक ही कहा है कि संविधान की 47वीं धारा

में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेड डाउन हैं उन का परिपालन हमने नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारों ने एक्साइज और शराब को जो अपनी आमदनी का जरिया बनाया है, निरंतर प्रति वर्ष उस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यह देश के लिए कम घातक बात नहीं है। कम से कम आप केन्द्र से प्रान्तीय सरकारों को आदेश दे सकते हैं कि एक यूनिफार्म पालिसी सारे देश में लागू करें। एक तो यह बहुत आवश्यक बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के युग में शराब पीना एक प्रकार से सम्भ्रांत लोगों के लिए अपनी हैसियत का एक नमूना बन गया है जो शराब पीने वाला है उस की हैसियत ऊंची मानी जाती है। उस का दुष्परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति या जो वर्ग शराब पीने का आदी हो जाता है, बाप शराब पीएगा तो बेटा पीएगा, फिर और परिवार के लोग पीएंगे, रिश्तेदार पीयेंगे। स्टूडेंट पीते हैं। आज हालत यहां तक हो गई है कि हमारे नवयुवकों के अंदर नशे की लत से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। जैसा कि पिछले दिनों में हुए सर्वे से मालूम होता है कि शराब और दूसरी नशीली चीजों के प्रयोग से हमारे युवकों की प्रतिभा कुंठित होती जा रही है। वे अवनति की तरफ जा रहे हैं और उस से अपराधों की संख्या में कई गुना वृद्धि होती चली जा रही है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप शराबबन्दी नेकनीयती से लागू करना चाहते हैं तो आप इस बात को देख लीजिए कि जिन आदमियों पर आप ने यह जिम्मेदारी सौंपी है कहीं वे खुद तो पीने वाले नहीं हैं। अमेरिका में 18वें अमेंडमेंट को उन्होंने इसीलिए समाप्त कर दिया कि उस का परिपालन करने की जिम्मेदारी जिन पर सौंपी गई थी वह नियमित रूप से शराब पीने वाले थे। आप उन से क्या आशा कर सकते हैं कि वे इस काम में आप को ईमानदारी से सहयोग देंगे? इसलिए मैं समझता हूं कि आपको इस पर कड़ाई से विचार करने की जरूरत है।

टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट आपको मालूम है, उसमें लिखा है :—

> "The work of prohibition has to be entrusted to those who are teatotallers by conviction. We also think that Government Servants Conduct Rules should contain provisions against drinking;"

जो बात सरकारी अधिकारियों पर लागू होती है मैं समझता हूं उस से अधिक यह बात सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लागू होनी चाहिए। गीता में कहा है कि—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:।

समाज में अगुवा लोगों का जो चरित्र होता है समाज का चरित्र वही बनता है। नैतिकता ऊपर से नीचे को आती है। हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि नीचे के वर्ग के आदमियों से तो मोरेलिटी एक्सपेक्ट करें और हम खुद इम्मारल रहें। इसलिए मैं समझता हूं कि समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें इसका पालन करना चाहिए।

तो मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री साहब से कि क्या आपने सरकारी अधिकारियों पर शराब पीने के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाया है और लगाया है तो क्या आप समय-समय पर उसका विश्लेषण करते रहे हैं कि उसका क्या असर पड़ा है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सेंट्रल प्राहिबीशन कमेटी की जो सिफारिशें आप के सामने प्रस्तुत की गई हैं उन पर आपने किस हद तक अमल किया? सेंट्रल प्राहिबीशन कमेटी ने एक सिफारिश की थी कि पे डे पर, जिस दिन कि वेतन मिले, उस दिन आप ड्राइ डे रखिए। क्या उसका परिपालन सारे देश में करने की हिदायत है? एक सिफारिश उनकी यह थी कि शराब बन्दी के लिए उम्र के सवाल पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाए और 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी नवयुवक को शराब पीने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ड्राइवर्स हैं, मेकेनिक्स हैं, इनके लिए तो शराब पीना बिलकुल निषिद्ध होना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा: यह उम्र की क्या बात आपने कही? फिर आप की होनी चाहिए क्या? आप 21 साल से ऊपर के हैं।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली: यह तो एक ऐसी बात है कि जिसका उत्तर न देना ही ज्यादा अच्छा है।

पिछले दिनों एक प्रस्ताव आया था, प्राहिबीशन कमेटी की मीटिंग में, हरियाणा की एक पंचायत ने प्रस्ताव पास किया कि हमारे यहां शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन फिर भी शासन ने वहां पर शराब की दुकान खोल दी। मुकदमा कोर्ट में है। तो प्राहिबीशन कमेटी ने यह सिफारिश की है कि जहां 66 प्रतिशत पंचायत के सदस्य सिफारिश करें कि हमारे गांव में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां उसको लागू किया जाय। उसको लागू करने के लिए क्या आप प्रांतीय सरकारों को आदेश दे रहे हैं ?

अन्त में मैं आप से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो वैधानिक रूप से शराब की दुकानें हैं उनका तो आप ठीक से प्रबन्ध करेंगे ही करेंगे। क्या आप ने इस बात की कल्पना कभी की है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन जो है उस से कितना नुकसान हो रहा है ? टिंचर जिंजर दवा के नाम पर जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं में जहां आपने शराब बन्दी कर रखी है, पेटियों की पेटियां टिंचर जिंजर की जा रही है। कोई उन से पूछे कि किस डाक्टर के नुस्खे के मुताबिक लोगों को यह टिंचर जिंजर दे रहे हो ? लोगों की मौतें हो रही हैं। और तो और, यूरिया जो खाद है, शराब को ज्यादा नशीली बनाने के लिए उसको शराब बनाने में इस्तेमाल करते हैं। शीरा खोया है, और न जाने क्या-क्या है।

तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि इन चीजों के लिए और स्मगलिंग वगैरह के जो काम हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए आप किस प्रकार का नियम बना रहे हैं ? दूसरी बात, समाज में इस के प्रशिक्षण के लिए, इसके प्रचार और प्रसार के लिए आप कौन-सी ऐसी मशीनरी बनाने जा रहे हैं ? उपदेश देने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप क्या आदर्श प्रस्तुत करने जा रहे हैं ताकि आम जनता महसूस करे कि हमारे देश की एकोनामी के लिए, हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और हमारे परिवार के लिए यह बहुत ही घातक चीज है, इन चीजों पर आप प्रकाश डालें।

श्री शंकर देव (बीदर) : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर किसी डिस्टलरी या लिकर-शाप का उद्घाटन कर सकता है, क्योंकि 15 दिन पहले मैसूर के चीफ मिनिस्टर ने मेरे विरोध के बावजूद एक डिस्टिलरी का उद्घाटन किया था। मैंने उन से कहा था कि आप उस डिस्टिलरी का उद्घाटन मत कीजिये, क्योंकि जब आप वहां जायेंगे तो उसको आशीर्वाद देंगे और कहेंगे— Let there be more production and more consumption इसलिये मेहरबानी कर के उद्घाटन मत कीजिये। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं—क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोई ऐसी पालिसी है कि चीफ मिनिस्टर किसी डिस्टिलरी या लिकर शाप का उद्घाटन कर सकता है।

SHRI SAMAR GUHA : Sir, it appears to me, and it will appear to any reasonable person in the country who has even an iota of conscience in him, that the Government's prohibition policy is a classic example of hypocrisy galore. Government have constituted so many prohibition committees in each State, spending so much of money for it, preaching the lofty ideals for not having drinks. In all the government functions, in all the diplomatic functions, in honour of even those people who come to our country and who are habituated to drinking, what do they drink? With glasses of juice, they do *tun tun* and say 'We drink to your good health'. But when these people are invited by the embassies or to the houses of others, these people, the gentlemen politicians, the gentlement-Members of Parliament, the gentlemen Secretaries to the Government, the gentlemen Ministers, when they go to the embassies, what they do ? They drink, not like a whore they drink like a hippopotamus

MR. CHAIRMAN : You have introduced a new phase today.

SHRI SAMAR GUHA : They enjoy all the cocktails in the embassies. On Mahatma Gandhi's birthday, from the big

rostrum, with the flash of TV, with all radio arrangements, "महात्मा गांधी का इतना बड़ा आदर्श" they talk about the great ideals of Mahatma Gandhi. And this is how they are following his ideals! I do not understand this. There is a limit to hypocrisy. There must be some sense. The Government has become absolutely shameless.

Prohibition is dealt with by the Ministry of Education. What kind of education are they giving ? It is nothing but hpocrisy. If it had been given to Commerce, because of the question of revenue, one could have understood it. But it is under Education, for giving moral education, to introduce the idea of prohibition for moral elevation, for spiritual elevation, to say that ours is a great country and we are following these ideals! Are we following Mahatma Gandhi's constructive programmes for prohibition? On every 26th January and on every Independence Day, we take pledges, we take solemn pledges, and number one is prohibition. If Gandhiji were alive today, without being assasinated, he would have committed suicide on seeing the present day conditions in India: 'committed suicide' means he would have undertaken a fast unto death.

This gentleman, the West Bengal Chief Minister, who is calling himself progressive has given double the licences compared to last year, for the liquor shops. The result is that near the colleges and universities, near the cinemas and other places, liquor shops are there. It has also gone deep into the rural areas. It is no secret. I have once told the Prime Minister that for the first time in 27 years in West Bengal you had a brilliant set of young men. The Congress never had since Independence such a brilliant set of young men due to historical reasons. But they have all become rotten now.

In the rural areas, the boys, even those boys studying in the VIII class, after the class is over, take to the habit of drinking. Not only that, other vices are also there. In my constituency, due to the influence of Raja Ram Mohan Roy's Brahmo Samaj, in the rural areas the woman has a great freedom and she is culturally advanced. But now what happens? After dusk, no lady having any self-respect, dare to come out of her house. This is the condition in an area which was very advanced culturally due to the influence of the Brahmo Samaj. I have told it to the Prime Minister. It is no secret. I expressed my grief. There have been so many criminal assaults—all these cases have been hushed up—on ladies by these drunken people. They call themselves political elements. That is what your prohibition has led us to.

What is this prohibition? To earn money? To earn more revenue? If it is so, why don't you say so?

Why don't you say that there is no question of licence. Like a sweets shop you can set it up anywhere you like. No licence is necessary. If earning revenue is the main objective, you can earn revenue by many more ways. Blue films. Then lift prohibition. Then as in America, you establish nudist sanctuaries also. You also earn more revenue this way. Then what is this hypocrisy of observing the 1000th birth anniversary of Lord Mahavira or the birth anniversary of Gautam Buddha. Why this mockery? Why this hypocrisy? In a society if you practise what you profess, in the personal life and in the social life, the condition of any country would have changed and in our country also. But, in our country, between what we talk and what we do, there is a hiatus and that is the reason why the country is going down That is the reason why all this kind of immorality has been introduced. That is why in our country in the political life as also in the social life there is a moral degeneration. Now, if you visit any house in Delhi, what is the first thing they offer? A glass and, old people like me feel a little bit allergic. I say this has become a custom, a tradition and cultural ethics in our country nowadays. I

want to say that if you think that the western culture should be encouraged in our country do it boldly. Why this hypocrisy? Do it boldly. Remove prohibition. Have it every where like a sweets-shop. No necessity for a licence Only at the source impose an excise duty Dont have this duality of morality and immorality. As I have said, it is true also. I have seen that our boys in the universities have become drink and drug addicts. Even the girls also idulge in drinking. Our social milieu has led us to think where and why this younger generation has gone aberrant You look into this whole concept behind this question of prohibition. That is the reason why today I am sitting here If the Government feels that there is nothing wrong in drinking, let them first withdraw this prohibition Let them not practise this hypocricy If they are sincere let there be no drink in any Government or diplomatic function Only fruit juice should be there Let these prohibition Committees be made purposeful

There are many theories I do not want to go into them

Wherever there is a factory, a liquor shop is invariably associated with that What is the reason for it? Even in the tribal areas we know that the old men who do not have two square meals drink

There is no necessity of parading or repeating the old thing I want to ask the hon Deputy Minister—a young man who is blushing·

1. What is the objective of your Prohibition Committees?
2. How much do you spend each year in all the States together for the Prohibition Committee?
3. What revenue do you earn together from all the States?
4. How many new licences have been issued for liquor shops during the last three years
5. Expenditure incurred for constituting and then maintaining these Prohibition Committees

MR. CHAIRMAN : Hon. Deputy Minister, under the rules, you also will have to be short

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : सभापति जी, माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ सवाल उठाये हैं और..

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore) If the hon. Deputy Minister has come prepared he must tell how many types of drinks are there—Indian and foreign brands.

MR. CHAIRMAN · If he knows he will tell you in private, not here.

श्री अरविन्द नेताम : मैं कह रहा था कि बहुत से सवाल माननीय सदस्यों ने उठाये हैं और सर्वश्री डागा जी तथा पैन्यूली जी ने इस बात को दोहराया कि यह सारा का सारा विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है तो मैं माननीय डागा जी को एक बात बताना चाहता हू, जिस पर वह स्पष्ट नहीं है कि आल इंडिया प्रोहिबीशन काउन्सिल में एक वोलंटरी आर्गेनाइजेशन है, और जो हमारी सेन्ट्रल प्रोहिबीशन कमेटी है वह अलग है। बहुत कुछ बाते कही है जो सुझाव या रिपोर्ट काउन्सिल ने दी है वह वोलन्टरी आर्गेनाइजेशन का सुझाव है, रिपोर्ट है।

श्री मूल चन्द डागा उसको आप 20,00,00 रु० देते है।

श्री अरविन्द नेताम . 20,00,000 रु० नहीं, कुछ कम है। तो यह जो माननीय डागा जी ने मुद्दे उठाये है और कहा है कि यह जो सेन्ट्रल प्रोहिबीशन कमेटी है उसको बन्द कर देना चाहिये, उस सिलसिले मे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यह जो कमेटी है वह एक नेशनल फोरम है और ऐडवाइजरी बाडी है। और जहां तक मंत्रालय का या इस कमेटी का ताल्लुक है यह केवल सिफारिश या गाइड लाइन दे सकती है राज्य सरकारो

को। न कि कोई आदेश। तो यह स्पष्ट है कि ऐडवाइजरी बॉडी के नाते यह केवल सलाह दे सकती है, सिफारिश कर सकती है। और इसलिये यह कहना कि इस कमेटी ने कुछ नहीं किया यह सही नहीं है।

यह बात सही है, इससे मैं इन्कार नहीं करता कि जहां तक रेजेन्यू का मामला है और कजम्पशन का मामला है, दाम में वृद्धि हुई है। अब यह कहना कि इस कमेटी ने कुछ नहीं किया वह भी सही नहीं है।

आपने जो मिनिस्टरों की बात कही है कि 26 मार्च, 1974 को जो मीटिंग हुई थी जो सेन्ट्रल प्राहिबीशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें केवल चार स्टेटों के मंत्री ही उपस्थित थे। तो इसका कारण यह था कि 26 मार्च होने के कारण अधिकांश मंत्री महोदय अपने राज्यों के बजट सत्र के कारण व्यस्त थे।

श्री भूल चन्द डागा कितनी खूबसूरती से रिफेम कर रहे हैं अपने को। आप यह बता दें कि 1973 में कितने मंत्री लोग आये थे? कोई आना ही नहीं चाहता।

श्री अरविन्द नेताम आपने कहा कि चार के चार डिप्टी मिनिस्टर थे। यह बात सही नहीं है केवल एक ही डिप्टी मिनिस्टर के मध्य प्रदेश के शेष अपने महकमे के इचार्ज थे। इसलिये यह कहना कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि, खास कर मंत्री लोग इच्छुक नहीं हैं, यह बात सही नहीं है।

श्री भूल चन्द डागा: भारत में 20 स्टेटस हैं कितने आये थे?

श्री अरविन्द नेताम मैं तो कह रहा हूं कि चार आये थे। बाकी क्यों नहीं आये उनका कारण भी मैंने बता दिया।

यह बात सही है कि राज्यों की बात कह कर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। जहां तक यूनियन टैरिटरी का सवाल है आप ने चन्डीगढ़ और दिल्ली के बारे में कहा तो इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक और संराज्यिक राज्य अपने यहां मद्य-निषेध नहीं करते तब तक एक राज्य में मद्य-निषेध लागू कर पाना कठिन होता है। जैसे दिल्ली है या राजस्थान, हरियाणा, यू०पी०, इन सारे राज्यों से घिरा होने के कारण, वही स्थिति चंडीगढ़ की है, तो जब तक यह स्टेट्स लागू नहीं करती तब तक यूनियन टेरिटरी में लागू करना बहुत मुश्किल है। इसलिये भी अभी तक हम इसमें सफल नहीं हो पाये हैं।

भूल चन्द डागा दूसरे मंत्रियों ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट नहीं करती है। और आप कहते हैं कि राज्य लागू नहीं करते। आप उन पर दाब डालिये और वह आप पर दाब डाले।

श्री अरविन्द नेताम दिल्ली और चंडीगढ़ की स्थिति ऐसी है कि सब तरफ से राज्य सरकारों से घिरे हुए हैं। इसलिए यह कहना कि क्यों नहीं लागू करते हैं हमारे सामने दिक्कत यही पेश आती है जो मैंने अभी आप को बताया।

तो सब के सब राज्य एक साथ लागू कर सब तो काम बन सकता है अन्यथा बड़ी मुश्किल सामने पेश आती है। पड़ोस के राज्य लागू नहीं कर रहे हैं इसलिये हमारी दिक्कत है।

आपने तस्करी के बारे में भी कहा कि कितने तस्करी के मामले पकड़े गये? मेरे पास केवल 1971 के आंकड़े हैं करीब 24,805 प्रोसीक्यूशन किये गये और उनमें से 15,419 को सजा मिली है। तो माननीय डागा ने जो प्रश्न उठाये थे उनका मैंने जवाब दे दिया।

अब जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आपने कहा कि सारे मुल्क में कोई यूनिफौर्म पौलिसी नहीं है। पर जितने भी पिछले निर्णय लिये गये हैं प्रौहिबीशन कमेटी ने या जो सिफारिशें की गई हैं वह सारे राज्यों के प्रतिनिधि थे और सब ने मिल कर सिफारिश की है। तो यह कहना कि यूनिफौर्म पौलिसी नहीं है, या यूनिफौर्म गाइड लाइन नहीं है यह कहना गलत है। क्योंकि बहुत से जो निणय लिये गये उसमें तमाम राज्यों के प्रतिनिधि थे मिनिस्टर थे, और सभी ने मिल कर यह सिफारिश की थी।

सरकारी अफसरों के लिये भी जो रिवाइज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स बने हैं उनमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि कम से कम ड्यूटी आवर्स में, कार्य करने के समय में इस का उपयोग न करें। आपने जो कहा कि कितना अमल किया गया, तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से राज्यों ने अमल किया है। एक दो केसेज आप ने बताये। हो सकता है कि हरियाणा ने न किये हों लेकिन बहुत से राज्यों ने अमल किया है और अपनी स्वीकृति दी है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां शराब की दुकानें बन्द की गई हैं और हो सकता है कि बहुत सी जगहों में ऐसा न किया गया हो।

प्रो० गुह ने भी प्रश्न पूछे हैं।

श्री समर गुह : पांच सवाल पूछे हैं।

श्री अरविन्द नेताम : सबसे पहला सवाल आपने यह किया है कि आबजेक्टिव क्या है ? दागा जी ने इस कमेटी के आबजेक्टिव की बात की थी। हम तो गाइड लाइन्स दे सकते हैं।

दूसरे आपने एक्सपेंडीचर की बात कही है। मेरे पास लेटेस्ट फीगर्स नहीं हैं। आपने शायद कमेटी के बारे में पूछा है और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं, उनके बारे में पूछा है मैं पहले भी कह चुका हूं और यह बात सही है कि राज्य सरकारों के रेवेन्यूज बढ़े हैं और मेरे पास इसके फीगर्स हैं जो कि इस प्रकार हैं

1972-73	254 करोड़ रुपये
1973-74	282 करोड़ रुपये
1974-75	315 करोड़ रुपये।

श्री समर गुह : महात्मा गांधी जिन्दाबाद।

MR. CHAIRMAN : Including State Government's income.

श्री अरविन्द नेताम : यह आप के राज्यों की इन्कम है। आपने जो नये लाइसेंसेज के बारे में पूछा है, उसकी अभी इन्फार्मेशन नहीं है कि कितने लाइसेंस दिये हैं लेकिन यह बात सही है कि लाइसेंस बढ़े हैं।

SHRI PARIPOORNAND PAINULI : What about education of the people in regard to prohibition about illicit distillation that has been going on?

श्री अरविन्द नेताम : जहां तक आप ने एजुकेटिव प्रोग्राम की बात कही है, यह बात सही है कि 20 लाख रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है जो कि वालन्टरी आर्गेनाइजेशन को दिया गया है इन कार्यों को चलाने के लिए और हमने इस साल एक लाख 75 हजार रुपया वालन्टरी आर्गेनाइजेशन्स को दिया है। आपने इल्लीसिट डिस्टीलेशन की बात कही है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। बहुत से राज्यों में इसके बारे में तकलीफ है। अगर प्रोहिबीशन लागू करते हैं, तो इल्लिसिट डिस्टीलेशन बढ़ता है। ये बहुत से कारण हैं जिन की वजह से कठिनाई हो रही है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : टिचर जिंजर के मैन्युफैक्चरिंग यूज पर बैन लगाने के लिए क्या किया है।

19.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 24, 1975/Chaitra 3, 1897 (Saka).

MGIPRRND -II LSS/75—Sec. N-I—20-6-75—978